



Government of India
भारत सरकार

Ministry of Finance Department of Revenue
वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER OF
CENTRAL TAX, CGST & CX, BISHNUPUR DIVISION
KOLKATA SOUTH COMMISSIONERATE,
CENTRAL GST BHAWAN, 180, SHANTIPALLY, RAJDANGA MAIN ROAD,
R.B. CONNECTOR (5TH FLOOR), KOLKATA- 700107

C.No.V(30)6-CGST/Tech/BPD/Kol-South/RTI/2017-18

Dated: 12.10.2018

3163-65

To
Shri Ashwani Prajapati
824-A, Kumharna Dariyabad
Allahabad
Uttar Pradesh-211003

Sir,

Sub: Furnishing of Information under RTI Act, 2005 – reg.

Please refer to your RTI application dated 07/07/2018 which has been forwarded to this office on 03.10.2018 under Section 6(3) of RTI Act, 2005 by the Assistant Commissioner & CPIO, Kolkata South CGST & CX Commissionerate, Kolkata on the above subject.

There is no records available with this office regarding the desired information.

If you are aggrieved and dissatisfied with the reply, you are at liberty to prefer First Appeal within the stipulated time i.e. 30(thirty) days from receipt of this reply before Shri. Debojit Bose, Additional Commissioner & 1st Appellate Authority under RTI Act, 2005, CGST & CX, Kolkata-South Commissionerate, GST Bhawan, 180 Rajdanga Main Road, Shantipally, Kolkata-700107.

Yours Sincerely,

12/10/18
(Pandiyaraj G.V)

CPIO & Assistant Commissioner
CGST & CX, Bishnupur Division,
Kolkata South Commissionerate

Dt. 12/10/2018

C.NO. As above

3163

1. Copy forwarded to the CPIO & Deputy Commissioner & CCO, CGST & CX, Kolkata Zone Commissionerate.
2. Copy forwarded to the Assistant/Deputy Commissioner & CPIO, CGST & CX, Kolkata South

12/10/18

(Pandiyaraj G.V)
CPIO & Assistant Commissioner
CGST & CX, Bishnupur Division,
Kolkata South Commissionerate

40

01-1-2018

File No. 888242/2018

सेवा में,

जन सुचना अधिकारी

मुख्य आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर

मुख्य आयुक्तालय लखनऊ

7-ए अशोक मार्ग - लखनऊ

विषय:- जन सुचना का अधिकार 2005 के तहत सुचना देने के संबंध में
पत्राचार-

महोदय,

आपसे जानना चाहूंगा कि सन् 2017 तक जिन अधिकारी या कर्मचारी ने 3750/सैतीस सौ पचास रुपये वर्दी के नाम पर पैसा ले कर कितने दिन वर्दी धारण किया है।

अतः आदर्णीय महोदय जी से अनुरोध है कि अब यह भुगतान पाँच हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये लेने के बाद वर्दी पहनेंगे। आप को अवगत कराना है कि इलाहाबाद से लेकर आपके अधिनस्थ जितने वर्दी वाले कर्मचारी है क्या कभी वर्दी पहनते हैं मेरा अनुरोध है कि जो स्टाफ वर्दी नहीं पहनता है उसे वर्दी का भुगतान न किया जाय सिर्फ भुगतान उन्हें हो जो वर्दी पहनते है भारत सरकार के धन के दुरुउपयोग के सम्बन्ध में हर अधिकारीगण को जागरूक होना सुनिश्चित करें।

पोस्टल ऑडिट को दो कापी ए अट्रि
सल्लगतक

भवदीय

अशवनी प्रजापति

824-ए, कुमहरना दरियाबाद

इलाहाबाद उ0प्र0-211003

प्रतिलिपि - निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सेवा में,

1. अध्यक्ष महोदय (पदेन सचिव) भारत सरकार। - *mtg*
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर बोर्ड - नई दिल्ली

2. सेवा में श्री अरूण जेटली वित्तमंत्री - भारत सरकार - नई दिल्ली

3. सेवा में श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार - नई दिल्ली

Count (copy)

CPID (copy)

2/8
(m) 0/0/0

अशवनी 07-7-2018
अशवनी प्रजापति